



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016/अग्रहायण 11, 1938

No. 441]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2016/AGRAHAYANA 11, 1938

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 1 दिसम्बर, 2016

सं. भा.स.वि./ मुख्यालय/ प्रशा./ अधिसूचना/2016.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22वां) की धारा 47 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:

2015 का अध्यादेश 01

[कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2015-30-11 25-02-2015 दिनांक ; संशोधन के जरिये कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ई सी 2015-31-44 26-06-2015 दिनांक ; और आगे संशोधन वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ई सी 2016-35-13 दिनांक 22-07-2016]

अनुसंधान अध्ययन के बोर्ड के निर्माण

- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्ययन है, जो की संरचना निम्नानुसार होगा का एक बोर्ड होगा :
 - कुलपति - अध्यक्ष (पदेन)
 - अध्ययन - सदस्यों के स्कूलों के डीन (पदेन)
 - अध्ययन के प्रत्येक विद्यालय से एक प्रोफेसर कुलपति सदस्यों द्वारा नामित
 - अध्ययन के प्रत्येक स्कूल से एक एसोसिएट प्रोफेसर कुलपति सदस्यों द्वारा नामित
 - (पीएचडी) के साथ दस विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व शिक्षण, अनुसंधान और उद्योग शैक्षणिक परिषद द्वारा नामजद 20 नामों का एक पैनल कुलपति सदस्यों द्वारा प्रस्तावित।
- मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और वे फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे।
- अनुसंधान अध्ययन के बोर्ड में कार्यों किया जाएगा:

- (i) पीएचडी और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों के लिए दिशा निर्देशों और नियमों का प्रस्ताव।
 - (ii) विश्वविद्यालय के दायरे में विषयों में अनुसंधान के लिए प्रमुख क्षेत्रों में जोर के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करें।
 - (iii) प्रत्येक विभाग में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें।
 - (iv) इस तरह के अन्य कार्यों के प्रदर्शन करना जो समय-समय पर शैक्षणिक परिषद या कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपा गया हो।
4. बोर्ड की बैठकें एक साल में कम से कम दो बार आयोजित किया जाएगा।
 5. बोर्ड की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों में से एक तिहाई होगी।
 6. बोर्ड की बैठक के लिए सूचना कम से कम दस दिन बैठक की तारीख के तय होने से पहले जारी किया जाएगा।
 7. बोर्ड काम करने के लिए अपने स्वयं प्रक्रियाओं का निर्धारण कर सकता है। "

2015 का अध्यादेश 34

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2015-31-42 दिनांक 26-06-2015]

संशोधन वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ई सी 2016-36-28 दिनांक 28-09-2016]

रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम निर्धारित

1.	पद का नाम	रजिस्ट्रार
2.	पदों की संख्या	1
3.	वर्गीकरण	ग्रुप ए
4.	वेतनमान	पे बैंड 4 - रु 37,400-67,000। 10000 रुपये की जीपी के साथ
5.	चाहे चयन पद अथवा गैर चयन पद	चयन पद
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं। (कुलपति द्वारा योग्य मामलों में 2 साल के लिए छूट।)
7.	रजिस्ट्रार के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताओं	श्रेणी 1 : प्रोफेसरों या वैज्ञानिक जो (क) कम से कम 55% अंक या अपने समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ यूजीसी में मास्टर डिग्री सात बिंदु स्केल पर निर्धारित (ख) कम से कम किसी भी केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम/अनुसंधान संगठन या समकक्ष में एक प्रोफेसर या वैज्ञानिक जी/ या श्रेणी 2: विश्वविद्यालय अधिकारियों से (क) कम से कम 55% अंक या अपने समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ यूजीसी में मास्टर डिग्री सात बिंदु स्केल पर निर्धारित (ख) रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक के रूप में किसी भी केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय/आईआईटी/एनआईटी/आईआईएम में परीक्षा (या) संस्थानों सहायक रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार के रूप में ऊपर निर्दिष्ट में कम से कम 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव के साथ एक अधिकारी के रूप में, जिसमें से उप पंजीयक के रूप में कम से कम 8 साल होगा या

		<p><u>श्रेणी 3: मेजर पोर्ट्स या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से</u></p> <p>(क) कम से कम 55% अंक या अपने समकक्ष ग्रेड 'बी' के साथ यूजीसी में मास्टर डिग्री सात बिंदु स्केल पर निर्धारित</p> <p>(ख) एक अधिकारी जो किसी भी प्रमुख बंदरगाह में (या) विभाग के प्रमुख के पद से नीचे नहीं काम कर रहा है या एक व्यक्ति जो वरिष्ठ कार्यकारी रूप में काम कर रहा है (बोर्ड के स्तर से नीचे एक रैंक) महारत्न उपक्रमों में और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में नवरत्न श्रेणी के, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मिनीरत्न श्रेणी में निदेशक।</p> <p>या</p> <p><u>श्रेणी 4: मरीनेर्स से</u></p> <p>(क) मास्टर (विदेश जा रहे हैं)/एम ई ओ कक्षा I (मोटर) योग्यता के प्रमाण पत्र;</p> <p>(ख) एस टीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ के भीतर प्रबंधन के स्तर पर दो साल के न्यूनतम की नौकायन अनुभव; तथा</p> <p>(ग) एक या निम्नलिखित क्षेत्रों में से अधिक में समुद्री उद्योग में न्यूनतम पंद्रह वर्ष का अनुभव:</p> <p>(i) प्रबंधन के स्तर पर नौकायन अनुभव [ऊपर दो साल (ख) में संकेत में निर्धारित न्यूनतम]</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त समुद्री संस्था में समुद्री विज्ञान या मरीन इंजीनियरिंग शिक्षा देना;</p> <p>(iii) नौवहन महानिदेशालय में या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी में समुद्री या इंजीनियरिंग सर्वेयर;</p> <p>(iv) किसी भी प्रतिष्ठित जहाज मालिक या जहाज के प्रबंध कंपनी में तकनीकी अधीक्षक</p> <p>या</p> <p><u>श्रेणी 5: केन्द्रीय/राज्य सरकारों के ग्रुप ए अधिकारियों से</u></p> <p>अपर सचिव के पद निदेशक के नीचे नहीं राज्य सरकारों या केंद्र सरकार में सेवारत या सेवानिवृत्त केन्द्रीय/राज्य सरकारों के ग्रुप ए अधिकारी।</p>
8.	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता सीधी भर्ती के लिए निर्धारित नियुक्ति के मामले में लागू होगा?	आयु सीमा: 57 साल। (कुलपति से छूट के लिए 2 साल के लिए योग्य मामलों में)। शैक्षिक योग्यता: हाँ, श्रेणी 5 के मामले में छोड़कर।
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	केवल सीधी भर्ती के लिए दो साल।
10.	भर्ती की पद्धति।	सीधी भर्ती [या] एक व्यक्ति को नियमित आधार पर एक अनुरूप पद धारण की प्रतिनियुक्ति।
11.	अगर एक चयन समिति मौजूद है, इसकी संरचना क्या है?	चयन समिति मिलकर बनती है: (क) अध्यक्ष के रूप में कुलपति। (ख) कार्यकारी परिषद के दो सदस्यों को कुलपति द्वारा नामित किया है।

		(ग) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्ति एक विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं। (घ) एक व्यक्ति आगंतुक द्वारा नामित किया है। (ई) एक व्यक्ति न्यायालय द्वारा नामित किया है।
12.	टिप्पणी	1. रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति शुरू में 5 साल के एक कार्यकाल के लिए किया जाएगा। संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर 5 वर्ष की एक अधिकतम केवल एक ही विस्तार करने के लिए पात्र। 2. सेवानिवृत्ति की उम्र: सीधी भर्ती के लिए 62 वर्ष। प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजन विभाग/ एजेंसी के संबंधित उम्र 62 वर्ष की एक अधिकतम करने के लिए लागू होगी। 3. 5% अंक की छूट की अनुमति दी जाएगी (55% से 50% तक) मास्टर डिग्री स्तर/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए। 4. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। 5. वह पद बराबर है या नहीं आईएमयू का निर्णय अंतिम है। 6. एक उम्मीदवार के अनुभव एक से अधिक श्रेणी/उप-श्रेणी, तक फैला है तो उसकी पात्रता पर पहुंचने के लिए जोड़ दिया जाएगा।

2015 का अध्यादेश 36

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2015-31-42 दिनांक 26-06-2015

संशोधन वाइड ई सी 2016-36-29 दिनांक 28-09-2016]

अध्यादेश डिप्टी रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम निर्धारित

1	पद का नाम	उप पंजीयक
2	पदों की संख्या	9
3	वर्गीकरण	ग्रुप ए
4	वेतनमान	रु. 7600 की ग्रेड पे के साथ रु. 15600-39100 - प्रारंभिक नियुक्ति पर, वेतन पे बैंड 3 में तय किया जाएगा। इस पे बैंड में संतोषजनक सेवा के 5 साल पूरा करने के बाद वह उच्च वेतन बैंड के लिए कदम होगा रु 37400-67000 के 4 - 1 8700 की ग्रेड पे के साथ लेकिन उप पंजीयक के रूप में नामित किया जाना जारी रहेगा।
5	चयन पद या गैर चयन पद चाहे	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति के लिए लागू नहीं होता। प्रमोशन के मामले में सेलेक्शन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	55 वर्षों से अधिक नहीं। (योग्य मामलों में कुलपति से 2 साल तक छूट दी।)
7	उप पंजीयक के लिए सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	श्रेणी I: विश्वविद्यालयों से/अनुसंधान संस्थानों (क) कम से कम 55% अंक या यूजीसी में 'बी' सात बिंदु तराजू निर्धारित की अपनी समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री; (ख) उप पंजीयक या परीक्षाओं के उप नियंत्रक के रूप में या बराबर किसी भी केन्द्रीय या राज्य में विश्वविद्यालय/आईआईटी/ एनआईटी/आईआईएम/अनुसंधान

		<p>प्रतिष्ठान (या) संस्थानों ऊपर निर्दिष्ट में कम से कम 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव के साथ एक सहायक रजिस्ट्रार के रूप में।</p> <p>या</p> <p><u>श्रेणी 2: प्रमुख बंदरगाहों से</u></p> <p>(क) कम से कम 55% अंक या यूजीसी में 'बी' सात बिंदु तराजू निर्धारित की अपनी समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री;</p> <p>(ख) एक अधिकारी जो उप सचिव के पद के बराबर नीचे नहीं काम कर रहा है किसी प्रमुख बंदरगाह में</p> <p>या</p> <p><u>श्रेणी 3: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या वित्तीय संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से</u></p> <p>(क) कम से कम 55% अंक या यूजीसी में 'बी' सात बिंदु तराजू निर्धारित की अपनी समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री;</p> <p>(ख) प्रासंगिक प्रशासनिक अनुभव कम से कम 7 साल</p> <p>वित्तीय संस्थाओं/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों</p> <p>(i) ग्रेड नहीं ई -1 (कार्यकारी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से कम में</p> <p>या</p> <p>(ii) ग्रेड में स्केल-1 से कम में नहीं - (परिवीक्षाधीन अधिकारी) या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में;</p> <p>या</p> <p>(iii) ई -1 से कम नहीं कुल मासिक वेतन के साथ (कार्यकारी) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलना में किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में/</p> <p><u>श्रेणी 4: मरीनेर्स से</u></p> <p>(क) मास्टर (विदेश जा रहे हैं)/एमईओ कक्षा-1 में (मोटर) योग्यता के प्रमाण पत्र;</p> <p>(ख) एस टी सी डब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ के भीतर प्रबंधन के स्तर पर एक वर्ष के न्यूनतम की नौकायन अनुभव; तथा</p> <p>(ग) एक या निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक में समुद्री उद्योग में न्यूनतम छह वर्ष के अनुभव:</p> <p>(i) प्रबंधन के स्तर पर नौकायन अनुभव [एक वर्ष की निर्धारित न्यूनतम से परे (ख) ऊपर में संकेत];</p> <p>(ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्था समुद्री में समुद्री विज्ञान या मरीन इंजीनियरिंग शिक्षण;</p> <p>(iii) नौवहन की या किसी मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी में महानिदेशालय समुद्री या इंजीनियरिंग सर्वेयर;</p> <p>(iv) किसी प्रतिष्ठित जहाज मालिक या जहाज के प्रबंध कंपनी में तकनीकी अधीक्षक।</p> <p>या</p>
--	--	--

		<p><u>श्रेणी 5: केन्द्रीय/राज्य सरकारों के ग्रुप ए अधिकारियों से</u></p> <p>सेवारत या सेवानिवृत्त हुए ग्रुप ए ऑफिसर राज्य सरकारों या केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव के पद के नीचे नहीं/राज्य सरकार में डेप्युटी सचिव केन्द्रीय सरकार नीचे नहीं के एक अधिकारी।</p>
8	<p>क्या उम्र और सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू होगा?</p>	<p>पदोन्नति</p> <p>आयु सीमा - नहीं</p> <p>शैक्षिक योग्यता: हां।</p> <p>सहायक रजिस्ट्रार से रुपये का ग्रेड वेतन 6,600/- में नियमित सेवा के कम से कम 3 साल के साथ। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन और मूल्यांकन के अधीन।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>आयु सीमा - 57 साल।</p> <p>शैक्षिक योग्यता: हाँ, श्रेणी 5 के मामले में छोड़कर।</p> <p>एक व्यक्ति को रुपये का ग्रेड वेतन 6600 में नियमित सेवा के कम से कम 3 साल के साथ एक अनुरूप पद या समकक्ष।</p>
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सिर्फ सीधी भर्ती के लिए दो साल।
10	भर्ती की पद्धति।	<p>सीधी भर्ती/संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/अवशोषण।</p> <p>सीधी भर्ती एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य है वही व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।</p> <p>ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट संवर्धन, प्रतिनियुक्ति और अवशोषण के मामले में आवश्यक नहीं है।</p>
11	एक चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी संरचना क्या है?	<p>चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति मिलकर बनता है:</p> <p>(i) अध्यक्ष के रूप में कुलपति।</p> <p>(ii) कार्यकारी परिषद के एक सदस्य।</p> <p>(iii) कार्यकारी परिषद के एक पद के नामिनी।</p> <p>(iv) एक अधिकारी कुलपति द्वारा नामित किया गया।</p>
12	टिप्पणियों	<p>1. सेवानिवृत्ति की उम्र: सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए 60 साल। प्रतिनियुक्ति के लिए, प्रायोजन विभाग/ एजेंसी के संबंधित उम्र/लागू होगी।</p> <p>2. 5% अंक (55% से 50% तक) मास्टर डिग्री स्तर पर छूट/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए अनुमति।</p> <p>3. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।</p> <p>4. क्या एक पद बराबर है या नहीं फैसले करने के लिए और क्या परिलब्धियां बराबर है या नहीं आई एम यू के फैसले अंतिम है।</p> <p>5. एक उम्मीदवार के अनुभव एक से अधिक श्रेणी/उप-श्रेणी तक फैला है तो, उसकी पात्रता पर पहुंचने के लिए उन्हें जोड़ दिया जाएगा।</p>

2015 का अध्यादेश 80**[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2015-33-27 दिनांक 23-12-2015****संशोधन वाइड ई सी 2016-36-18 दिनांक 28-09-2016]****'इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी परिसरों के मेधावी छात्रों के लिए प्रदर्शन आधारित इनाम'****आई एम यू परिसरों में छात्रों के लिए प्रदर्शन के आधार पर इनाम**

1. 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम' योजना केवल आई एम यू परिसरों में छात्रों के लिए लागू है, और छात्रों को प्रेरित करने के लिए सेमेस्टर में प्रशंसनीय ढंग से प्रदर्शन करने के लिए और उसे जारी रखने के उद्देश्य से है; अनुशासन और अच्छे आचरण बनाए रखने के लिए; और मेधावी छात्रों के बैंक ऋण के बोझ को कम करने के लिए।
2. यह एक इनाम रूप में, यह अकादमिक प्रदर्शन पर पूरी तरह आधारित होगा और आर्थिक साधन से जुड़ा हुआ नहीं माना जाएगा।
3. यह शुद्ध योग्यता के लिए एक पुरस्कार है, यह किसी अन्य स्रोत से किसी भी के लिए हो रही छात्रवृत्ति/फ्रीशिप/छात्रवृत्ति/फैलोशिप, आदि से एक छात्र को नहीं रोकेगी।
4. यह तत्काल पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर केवल एक सेमेस्टर के लिए किया जाएगा। यह इस प्रकार है कि इनाम किसी भी कार्यक्रम के प्रथम सत्र में नहीं दिया जाएगा; यह बाद में दूसरे सेमेस्टर से दिया जाएगा।
5. 2 साल या उससे अधिक अवधि के यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम के लिए ही लागू होगी। इस प्रकार 1 और मरीन इंजिनियरिंग में डीएनएस साल समुद्री विज्ञानस्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी जी डी एम ई) में डिप्लोमा कार्यक्रमों के द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।
6. अनुदान के समय, किसी भी छात्र के बकाया तत्काल पिछले सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित परीक्षाओं या पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए नहीं होना चाहिए।
7. किसी भी छात्र जो रैगिंग या परीक्षा कदाचार के लिए किसी भी सजा का सामना करना पड़ा है या सकल अनुशासनहीनता या कदाचार के किसी भी कृत्य में लिप्त है, इस पुरस्कार के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाएगा। एक परिसर निदेशक से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' इस संबंध में प्राप्त किया जाएगा।
8. तत्काल पिछले सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम के आधार पर, सभी में प्रत्येक बैच में शीर्ष रैंकर पीजी डिग्री प्रोग्राम के साथ ही स्नातकीय को प्रति लाख रुपए का एक 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम' मिल जाएगा 75% अंकों के समग्र और ऊपर एवं निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन।
9. उम्मीदवारों की कुल संख्या जो योग्यता के क्रम में रु 75, 000 प्रत्येक बैच में प्रति हैड की प्रत्येक कार्यक्रम एक 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम' मिल जाएगा/अव्वल रहने वाले छात्र के अलावा अन्य नीचे -दिये गए टेबल के अनुसार :

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष)	सेमेस्टर्स की संख्या जिसके लिए प्रदर्शन आधारित इनाम दिया जाएगा	छात्रों की कुल संख्या जिन्हें 75,000 इनाम की राशि दी जाएगी प्रत्येक बैच में प्रदर्शन के आधार पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
यूजी कार्यक्रम				
1	बी टेक (मैरीन इंजीनियरिंग)	4	7	30
2	बी टेक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग)	4	7	4
2	बी. एससी (नौटिकल साइंस)	3	5	16

3	बी. एससी (समुद्री विज्ञान)	3	5	2
4	बी. एससी (जहाज निर्माण और मरम्मत)	3	5	2
योग				54
पीजी प्रोग्राम				
1	एम. टेक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग) और एम. टेक (ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग)	2	3	2
2	एमबीए (बंदरगाह और नौवहन प्रबंधन) और एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)	2	3	7
योग				9
कुल योग				63

10. 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम उम्मीदवारों की कुल संख्या ऑर्डर ऑफ मेरिट (धाराएं 8 और 9 से कवर किए उम्मीदवारों के अलावा अन्य) के क्रम में - प्रत्येक कार्यक्रम में प्रत्येक बैच में प्रति व्यक्ति रु 50000/- होगा नीचे दी गई तालिका के अनुसार हो:

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	अवधि (वर्ष)	सेमेस्टर्स की संख्या जिसके लिए प्रदर्शन आधारित इनाम दिया जाएगा	जो इनाम 50,000/- रुपये की राशि दी जाएगी छात्रों की कुल संख्या प्रत्येक बैच में प्रदर्शन के आधार पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
यूजी कार्यक्रम				
1	बी टेक (मैरीन इंजीनियरिंग)	4	7	30
2	बी टेक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग)	4	7	4
2	बी. एससी (नौटिकल साइंस)	3	5	16
3	बी. एससी (समुद्री विज्ञान)	3	5	2
4	बी. एससी (जहाज निर्माण और मरम्मत)	3	5	2
कुल				54
पीजी कार्यक्रम				
1	एम. टेक (नौसेना वास्तुकला और महासागर इंजीनियरिंग) और एम. टेक (ड्रेजिंग और हार्बर इंजीनियरिंग)	2	3	2
3	एमबीए (बंदरगाह और नौवहन प्रबंधन)	2	3	7

	और एमबीए (अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और रसद)			
	योग			9
	कुल योग			63

11. सभी तीन प्रकार के लिए 'प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार', दो एमबीए प्रोग्राम है जो आम परीक्षा की एक बड़ी संख्या के लिए एक एकल 'कार्यक्रम' के रूप में माना जाएगा के; ऐसे ही एम टेक के दो कार्यक्रम।
12. 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम' के लिए पात्र होने के लिए प्रति व्यक्ति रुपये -75,000 या 50,000 प्रति व्यक्ति, छात्रों को कम से कम 75% अंकों के समग्र और ऊपर निर्धारित अन्य शर्तों को मिलना चाहिए।
13. 'अव्वल रहने वाले छात्र' और अन्य रीवार्डी का निर्धारण करने के लिए, विश्वविद्यालय के रूप में एक पूरी यूनिट समझा जाएगा; अलग-अलग परिसरों नहीं।
14. अव्वल के लिए एक 'टाई' की स्थिति में सभी छात्रों को इनाम मिलेगा। प्रदर्शन के आधार पर इनाम के 75,000 के पुरस्कार के लिए एक 'टाई' की घटना में प्रति व्यक्ति या रुपये 50,000 प्रति व्यक्ति, 'टाई' विशेष सेमेस्टर की थ्योरी कागजात के लिए कुल बाह्य परीक्षा के मार्क्स को अवरोही क्रम में छात्रों की व्यवस्था से हल किया जाएगा। यदि फिर भी एक 'टाई' है तब सेमेस्टर के लिए उपस्थिति का प्रतिशत अवरोही क्रम में छात्रों की व्यवस्था से हल किया जाएगा।

छात्र अपने सेमेस्टर की फीस और अन्य आई एम यू को देय राशि के खिलाफ अपने पात्र 'प्रदर्शन के आधार पर इनाम राशि' दूर स्थापित करने के हकदार नहीं है। हालांकि आई एम यू 'अपने प्रदर्शन के आधार पर इनाम' से छात्र से अपनी बकाया राशि में से किसी को लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। "

2016 का अध्यादेश 01

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2016-34-15 दिनांक 23-05-2016]

आई एम यू के साहित्यिक चोरी विरोधी नीति पर अध्यादेश

परिभाषा

साहित्यिक चोरी ' स्रोत की स्वीकृति के बिना एक एक अन्य व्यक्ति के काम अपने काम के रूप में स्रोत की स्वीकृति के बिना के रूप में परिभाषित है, और वाक्यांशों, वाक्य, पैराग्राफ या इंटरनेट से सहित प्रकाशित या अप्रकाशित काम से लंबे समय तक अर्क की नकल करना शामिल है।

साहित्यिक चोरी की विधियां

डब्लूडब्लूडब्लू.प्लागियारीस्म.ओआरजी (www.plagiarism.org) के अनुसार, साहित्यिक चोरी निम्नलिखित माना जाता है:

1. किसी और के काम को अपने खुद के रूप में बदल रहे हैं।
2. नकल शब्दों या किसी और के विचारों को बिना क्रेडिट दिये।
3. एक उद्धरण को उद्धरण चिह्नों में करने में विफल रहना।
4. एक उद्धरण के स्रोत के बारे में गलत जानकारी देना।
5. शब्दों को बदलना एक स्रोत के वाक्य संरचना को कॉपी लेकिन क्रेडिट के बिना।
6. इतने सारे शब्दों या विचारों की नकल एक स्रोत से कि वह अपना काम लगे ,चाहे आप क्रेडिट दे या नहीं(अर्थात् नहीं " निष्पक्ष उपयोग ")।

छात्र द्वारा 'नहीं - साहित्यिक चोरी घोषणा'

हर छात्र जो एक स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री के पुरस्कार के लिए एक थीसिस/शोध प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट/शोध पत्र/पर काम प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है पीजी/पीएचडी प्रोग्राम की शुरुआत में ही एक हस्ताक्षरित बयान प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक हो कि उसे विश्वविद्यालय के विरोधी साहित्यिक चोरी नीति के बारे में पता है और वह इसका पालन करेंगे।

वह हर थीसिस/शोध प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट/शोध पत्र/उसके द्वारा प्रस्तुत काम के साथ एक "कोई साहित्यिक चोरी नहीं घोषणा" प्रस्तुत करेगा।

साहित्यिक चोरी का पता लगाने के छात्रों द्वारा प्रतिबद्ध के लिए जिम्मेदारी

साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए पर्यवेक्षक/गाइड/शिक्षक की प्राथमिक जिम्मेदारी है, अगर कोई आरोप है तो अपने छात्र द्वारा की गई होगी। पर्यवेक्षक/गाइड/शिक्षक सुनिश्चित करने के लिए कि यह वास्तविक अनुसंधान और मूल काम को दर्शाता है थीसिस/निबंध/ शोध पत्र/निर्धारित विरोधी साहित्यिक चोरी का पता लगाने के उपकरण के माध्यम से पता लगाया जाएगा, और वह इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। एक पर्यवेक्षक/गाइड/शिक्षक जो पर्यवेक्षक/गाइड/शिक्षक साहित्यिक चोरी का पता लगाने में विफल रहता अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

कर्मचारियों द्वारा साहित्यिक चोरी

शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को जो सेमिनार और सम्मेलनों में लेख/शोध पत्र/परामर्श रिपोर्ट/परियोजना रिपोर्ट या जो उपस्थित कागजात प्रस्तुत या व्याख्यान देने के उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए और साहित्यिक चोरी का सहारा नहीं लेने की आवश्यकता होगी। किसी भी साहित्यिक चोरी जो प्रकाश में आती है, तो वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

साहित्यिक चोरी के आरोपों से निपटने के लिए प्रक्रिया

जब भी साहित्यिक चोरी का आरोप पर्यवेक्षक/गाइड/शिक्षक द्वारा या किसी अन्य स्रोत से एक छात्र या एक पूर्व छात्र या एक कर्मचारी के खिलाफ या तो विश्वविद्यालय के संज्ञान में लाया जाता है, कुलपति के लिए अनुसंधान अध्ययन बोर्ड के लिए पूछताछ का उल्लेख कर सकते हैं/ अनुसंधान अध्ययन के बोर्ड में अपने दम पर एक जांच का संचालन करने के लिए या एक स्थायी उप समिति साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच के लिए बना सकता है। बोर्ड/उप-समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए साहित्यिक चोरी के आरोप के खिलाफ कारण दिखाने के लिए एक उचित अवसर दिया जाएगा। जांच को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से जहां एक छात्र ने अपने कार्यक्रम को पूरा करने के कगार पर है। बोर्ड/उप-समिति अपनी रिपोर्ट कुलपति को सोपेगी (i) क्या साहित्यिक चोरी प्रतिबद्ध किया गया है या नहीं के रूप में एक स्पष्ट निष्कर्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए, और (ii) यदि प्रतिबद्ध है, अपराध की गंभीरता पर एक राय (व्यक्त वाक्य की कुल संख्या) के एक प्रतिशत के रूप में। कुलपति पूर्ण में बोर्ड/उप-समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करने के लिए या उसी से विचलित करने के लिए स्वतंत्र है कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के साथ।

अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है, कुलपति छात्रों और कर्मचारियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, में मानदंडों के अनुसार निम्न पुरस्कार या सजा निर्धारित हो सकता है:

वर्ग	साहित्यिक चोरी के सिद्ध प्रभारी अपराध की गंभीरता के आधार पर लिए सजा
छात्र	एक अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष से लेकर के लिए विश्वविद्यालय से निस्सारण।
पूर्व छात्र अर्थात पता चला है कि जिसको साहित्यिक चोरी के बाद उपाधि से सम्मानित किया गया है	आई एम यू द्वारा सम्मानित कि गयी डिग्री वापस ले सकता हैं।
कर्मचारी (संकाय/स्टाफ)	एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि के ठहराव की एक न्यूनतम जुर्माना और सेवा से समाप्ति की अधिकतम दंड के साथ छोटी या बड़े दंड के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई।
(1) साहित्यिक चोरी जो योग्यता पर आधारित रोजगार आई एम यू में प्राप्त हुई थी आई एम यू या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया एक डिग्री से संबंधित एक थीसिस/शोध प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट के संबंध में साबित कर दिया जाता है।	कम से कम एक वर्ष के लिए वेतन वृद्धि के ठहराव एक न्यूनतम दंड के साथ छोटा या बड़ा दंड के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई।
(2) साहित्यिक चोरी लेख के संबंध में साबित कर दिया है, तो/अनुसंधान रिपोर्ट/परामर्श रिपोर्ट/परियोजना रिपोर्ट एक सेमिनार या सम्मेलन आदि में प्रस्तुत/कागजात या व्याख्यान/	

2016 का अध्यादेश 02**[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2016-34-20 दिनांक 23-05-2016]****सहायक प्रोफेसर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के पद मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल के लिए भर्ती नियम**

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (मैकेनिकल अभियांत्रिकी)
(2)	पदों की संख्या	8 (मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में 24 सहायक प्रोफेसर पदों में से)
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड -3 अगप 6000 के साथ रु. 15600-39100 । सहायक प्रोफेसर, सेवा के 6 साल संतोषजनक प्रदर्शन के पूरा होने के बाद 7,000 के अगप के लिए पात्र होंगे। 5 साल संतोषजनक प्रदर्शन पूरा होने के बाद की 8,000 अगप, के लिए पात्र होंगे।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 साल (छूट योग्य मामलों में 2 साल तक कुलपति द्वारा) से अधिक नहीं।
(7)	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यता	आवश्यक: (क) कम से कम 55% अंक (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई है) एक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के तहत या स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के स्तर के साथ गुड अकादमिक रिकॉर्ड । (ख) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। आइ एम यू द्वारा आयोजित एक प्रासंगिक अनुशासन में पीएचडी धारकों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। वांछित: शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक और/या एक प्रतिष्ठित संगठन में व्यावसायिक अनुभव ।
(8)	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता के सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदोन्नति के मामले में लागू होगा?	लागू नहीं
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो?	दो साल
(10)	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।
(11)	संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण, ग्रेड से	लागू नहीं

	संबर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किए जाने के लिए द्वारा भर्ती के मामले में।	
(12)	चयन समिति की संरचना क्या है?	<p>चयन समिति इन से मिलकर बनता है :</p> <p>(i) कुलपति अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रो वाइस चांसलर</p> <p>(iii) आगंतुक के एक उम्मीदवार</p> <p>(iv) संबंधित विभाग के प्रमुख के।</p> <p>(v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।</p> <p>(vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति</p> <p>चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगंतुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।</p>
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	<p>1. ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार ।</p> <p>2. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी</p> <p>3. पीएचडी प्रासंगिक अनुशासन में है की नहीं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।</p>

2016 का अध्यादेश 03

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2016-34-20 दिनांक 23-05-2016]

एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम निर्धारित मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल(मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में

(1)	पद का नाम	एसोसिएट प्रोफेसर (मैकेनिकल अभियांत्रिकी)
(2)	पदों की संख्या	4 (मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में 20 एसोसिएट प्रोफेसर पदों में से)
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड -4 अगप 9000 के साथ रु. 37400-67100 ।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 साल (छूट योग्य मामलों में 2 साल तक कुलपति द्वारा) से अधिक नहीं।

(7)	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यता	<p>आवश्यक:</p> <p>(क) कम से कम 55% अंक (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई है) एक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के तहत या स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के स्तर के साथ गुड अकादमिक रिकॉर्ड ।</p> <p>(ख) एक प्रासंगिक अनुशासन में पीएचडी किसी भी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य योग्यता है जिसे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है।</p> <p>(ग) पीएचडी के बाद 6 साल की न्यूनतम संख्या शिक्षण/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव जिसमें से कम से कम 3 साल सहायक प्रोफेसर/वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक अधिकारी/वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर या उसके बराबर में होना चाहिए ।</p> <p>वांछित:</p> <p>(i) पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन।</p> <p>(ii) उचित संख्या में सहकर्मियों की समीक्षा की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन।</p> <p>(iii) पत्रों सम्मेलनों में प्रस्तुत किया।</p>
(8)	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता के सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदोन्नति के मामले में लागू होगा?	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यता: हाँ।
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो?	सीधी भर्ती के लिए दो साल।
(10)	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती/संवर्धन/ प्रतिनियुक्ति/अवशोषण। एक उम्मीदवार जो की 3 वर्षों की संतोषजनक सेवा दी है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण के लिए पात्र है।
(11)	प्रमोशन के मामले में, पदोन्नति किए जाने के लिए ग्रेड	एक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी के साथ, वेतन बैंड रु 37,400 - 67,000 के साथ अगप रु. 9,000 को स्थानांतरित करने के लिए पात्र होगा और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाना है। जो की अगप 8,000 में शिक्षण के संतोषजनक 3 साल पूरे करेगा और विभागीय पदोन्नति समिति के अधीन प्रदर्शन और मूल्यांकन से होगा ।
(12)	चयन समिति की संरचना क्या है?	चयन समिति से इन से मिलकर बनता है : (i) कुलपति अध्यक्ष (ii) प्रो वाइस चांसलर (iii) आगंतुक के एक उम्मीदवार (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख के। (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगंतुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष

(14)	टिप्पणी	<p>1. अर्हक सेवा समय पूर्णकालिक पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया नहीं गिना जाएगा।</p> <p>2. ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार।</p> <p>3. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी</p> <p>4. पीएचडी प्रासंगिक अनुशासन में है की नहीं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।</p>
------	---------	---

2016 का अध्यादेश 04

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी 2016 -34-21 दिनांक 23-05-2016]

अध्यादेश में सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के पद मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल के लिए भर्ती नियम निर्धारित

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
(2)	पदों की संख्या	2 (मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में 24 सहायक प्रोफेसर पदों में से)
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड -3 अगप 6000 के साथ रु.15600-39100। सहायक प्रोफेसर, सेवा के 6 साल संतोषजनक प्रदर्शन के पूरा होने के बाद 7,000 के अगप के लिए पात्र होंगे। 5 साल संतोषजनक प्रदर्शन पूरा होने के बाद की 8,000 अगप, के लिए पात्र होंगे।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 साल (छूट योग्य मामलों में 2 साल तक कुलपति द्वारा) से अधिक नहीं।
(7)	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यता	<p>आवश्यक:</p> <p>(क) गुड अकादमिक रिकॉर्ड (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई है) एक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या एक मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के तहत या स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के स्तर के साथ।</p> <p>(ख) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण।</p> <p>आइ एम यू द्वारा आयोजित एक प्रासंगिक अनुशासन में पीएचडी धारकों को पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है।</p> <p>वांछित:</p> <p>शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक और/या एक प्रतिष्ठित संगठन में व्यावसायिक अनुभव।</p>
(8)	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता के सीधी भर्ती के लिए निर्धारित	लागू नहीं

	पदोन्नति के मामले में लागू होगा?	
(9)	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो?	दो साल
(10)	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती।
(11)	संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण, ग्रेड से संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किए जाने के लिए द्वारा भर्ती के मामले में।	लागू नहीं
(12)	चयन समिति की संरचना क्या है?	<p>चयन समिति से इन से मिलकर बनता है :</p> <p>(i) कुलपति अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रो वाइस चांसलर</p> <p>(iii) आगंतुक के एक उम्मीदवार</p> <p>(iv) संबंधित विभाग के प्रमुख के।</p> <p>(v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।</p> <p>(vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति</p> <p>चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।</p>
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	<p>1. ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार।</p> <p>2. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी</p> <p>3. पीएचडी प्रासंगिक अनुशासन में है की नहीं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।</p>

2016 का अध्यादेश 05

[वाइड कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव सं ईसी2016-34-21 दिनांक23-05-2016]

एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए भर्ती नियम निर्धारित मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल(इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)

(1)	पद का नाम	एसोसिएट प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग)
(2)	पदों की संख्या	2

		(मरीन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के स्कूल में 20 एसोसिएट प्रोफेसर पदों में से)
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	वेतन बैंड -4 अगप 9000 के साथ रु. 37400-67100 ।
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं। पदोन्नति के मामले में चयन
(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 साल (छूट योग्य मामलों में 2 साल तक कुलपति द्वारा) से अधिक नहीं।
(7)	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यता	आवश्यक: (क) गुड अकादमिक रिकॉर्ड के साथ फ़र्स्ट क्लास (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई है) एक मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या एक मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक के तहत या स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री के स्तर के साथ । (ख) एक प्रासंगिक अनुशासन में पीएचडी किसी भी उम्मीदवार के लिए अनिवार्य योग्यता है जिसे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। (ग) पीएचडी के बाद 6 साल की न्यूनतम संख्या शिक्षण/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव जिसमें से कम से कम 3 साल सहायक प्रोफेसर/वरिष्ठ स्तर के वैज्ञानिक अधिकारी/वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर या उसके बराबर में होना चाहिए । वांछित: (i) पीएचडी छात्रों का मार्गदर्शन। (ii) उचित संख्या में सहकर्मी की समीक्षा की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशन। (iii) पत्रों सम्मेलनों में प्रस्तुत किया।
(8)	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता के सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदोन्नति के मामले में लागू होगा?	उम्र: नहीं शैक्षिक और अन्य योग्यता: हाँ।
(9)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो?	सीधी भर्ती के लिए दो साल।
(10)	भर्ती की पद्धति	सीधी भर्ती/संवर्धन/ प्रतिनियुक्ति/अवशोषण। एक उम्मीदवार जो की 3 वर्षों की संतोषजनक सेवा दी है एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रतिनियुक्ति पर अवशोषण के लिए पात्र है।
(11)	प्रमोशन के मामले में, पदोन्नति किए जाने के लिए ग्रेड	एक सहायक प्रोफेसर, पीएचडी के साथ, वेतन बैंड रु 37,400 - 67,000 के साथ अगप रु. 9,000 को स्थानांतरित करने के लिए पात्र होगा और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में नामित किया जाना है। जो की अगप 8,000 में शिक्षण के संतोषजनक 3 साल पूरे करेगा और विभागीय पदोन्नति समिति के अधीन प्रदर्शन और मूल्यांकन से होगा।
(12)	चयन समिति की	चयन समिति से इन से मिलकर बनता है :

	संरचना क्या है?	<p>(i) कुलपति अध्यक्ष</p> <p>(ii) प्रो. वाइस चांसलर</p> <p>(iii) आगंतुक के एक उम्मीदवार</p> <p>(iv) संबंधित विभाग के प्रमुख के।</p> <p>(v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।</p> <p>(vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति</p> <p>चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगन्तुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।</p>
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	<p>1. अर्हक सेवा समय पूर्णकालिक पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए लिया नहीं गिना जाएगा।</p> <p>2. ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार ।</p> <p>3. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी</p>

2016 का अध्यादेश 06

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं का, प. 2016-34-22 दि. 23-05-2016 के तहत]

समुद्री अध्ययन और मरीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नालजी के स्कूल में सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)के पद के लिए भर्ती नियम

(1)	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग)
(2)	पदों की संख्या	3 (समुद्री अध्ययन के स्कूल में 18 सहायक प्रोफेसर पदों में से)
(3)	वर्गीकरण	शिक्षक
(4)	वेतनमान	<p>वेतन बैंड-3 रु.15,600-39,100 के साथ अ.प.वे. रु.6,000</p> <p>सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु. 7,000 के लिए पात्र होंगे ।</p> <p>अ.प.वे. रु.7,000 में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु. 8,000 के लिए पात्र होंगे ।</p>
(5)	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं

(6)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्षों से अधिक नहीं (योग्य मामलों में कुलपति द्वारा 2 साल तक रियायत दी जा सकती है)।
(7)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: 1. प्रथम श्रेणी के साथ अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली है) या तो स्नातक के तहत या स्नातकोत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स एव संचार इंजीनियरिंग मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से। 2. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। पीएचडी धारकों को इससे छूट दी गई है वांछित: शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक और/या एक प्रतिष्ठित में व्यावसायिक संगठन में अनुभव।
(8)	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यताएँ पदोन्नति के मामले में लागू होंगी ?	लागू नहीं
(9)	परीवीक्षणवधि अगर हो तो	2 वर्ष
(10)	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती
(11)	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में, जो पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण से ग्रेड किए जाने के लिए	लागू नहीं
(12)	चयन समिति की संरचना	चयन समिति इस प्रकार होगी : (i) कुलपति अध्यक्ष (ii) उपकुलपति (iii) आगंतुक के एक नामिती (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगंतुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती।
(13)	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
(14)	टिप्पणी	1. ऊपरी आयु सीमा के लिए छूट निम्न उम्मीदवारों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग को भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार।

		2. पात्रता शर्तों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त करने की समापन तिथि से होगा/ 3. पीएचडी प्रासंगिक अनुशासन में है का अंतिम निर्णय आई एम यू का होगा।
--	--	--

2016 का अध्यादेश 07

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं. का. प. 2016-34-23 दि. 23-05-2016 के तहत,

सहायक प्रोफेसर (गणित) के पदों के लिए भर्ती नियम समुद्री अध्ययन के स्कूल में

1	पद का नाम	सहायक प्रोफेसर (गणित)
2	पदों की संख्या	5 (समुद्री अध्ययन के स्कूल में 18 सहायक प्रोफेसर पदों में से)
3	वर्गीकरण	शिक्षक
4	वेतनमान	वेतन बैंड -3 अगप 6000 के साथ रु. 15600-39100 । सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु.7,000 के लिए पात्र होंगे । अ.प.वे. रु 7,000. में 5 साल के संतोषजनक प्रदर्शन की सीमा पूरा होने के बाद अ.प.वे. रु 8,000.के लिए पात्र होंगे ।
5	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 साल (छूट योग्य मामलों में 2 साल तक कुलपति द्वारा) से अधिक नहीं।
7	सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यता	आवश्यक: (क) कम से कम 55% अंक (या समकक्ष ग्रेड जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई है) एक मान्यताप्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या एक मान्यताप्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से गणित में मास्टर डिग्री के स्तर पर के साथ गुड अकादमिक रिकॉर्ड । (ख) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण (नेट) सीएसआईआर द्वारा आयोजित या एस एल ई टी/सेट की तरह समान परीक्षण । (ग) हालांकि, उम्मीदवारों जो एक पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया नेट/एस एल ई टी/सेट की न्यूनतम पात्रता शर्त की आवश्यकता से छूट दी जाएगी । वांछित: शिक्षण, अनुसंधान, औद्योगिक और/या एक प्रतिष्ठित संगठन में व्यावसायिक अनुभव ।
8	क्या उम्र और शैक्षिक योग्यता के सीधी भर्ती के लिए निर्धारित पदोन्नति के मामले में लागू होगा?	लागू नहीं
9	परीवीक्षणवाधि, यदि कोई हो	दो साल
10	भर्ती की पद्धति	केवल सीधी भर्ती ।

11	संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण , ग्रेड से संवर्धन/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किए जाने के लिए द्वारा भर्ती के मामले में।	लागू नहीं
12	चयन समिति की संरचना क्या है?	चयन समिति मिलकर बनती है : (I) कुलपति अध्यक्ष (ii) प्रो वाइस चांसलर (iii) आगंतुक के एक उम्मीदवार (iv) संबंधित विभाग के प्रमुख। (v) एक प्रोफेसर कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा। (vi) सहायक प्रोफेसर जिस विषय से संबंधित है, उस विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के लिए, शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये नामों की पैनल में से, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामित विश्वविद्यालय की सेवा में न रहने वाले दो व्यक्ति चयन समिति कार्यवृत्त, निम्न तीनों में से कम से कम किन्हीं दो सदस्यों द्वारा बैठक में भाग न लेने पर मान्य होगा- आगंतुक की नामिती, साथ-साथ कार्यकारिणी समिति के दो नामिती ।
13	सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष
14	टिप्पणी	1. ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश के अनुसार । 2. पात्रता शर्तों का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

2016 का अध्यादेश 08

[कार्यकारी परिषद संकल्प सं. का. प .2016-36-36 दि. 28-09-2016 के तहत,

कार्यकारी परिषद की बैठकों के संचालन के लिए नियम

1 सदस्यता

कार्यकारी परिषद, अर्थात् निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

- क) कुलपति, जो अध्यक्ष पदेन होगा;
- ख) प्रो-वाइस चांसलर, पदेन;
- ग) जहाजरानी, सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग (शिपिंग विभाग) के सचिव, भारत सरकार, या एक नामिनी संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं;
- घ) जहाजरानी महानिदेशक या एक संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं एक नामिनी;

- ड) अध्यक्ष, भारतीय पोर्ट एसोसिएशन, नई दिल्ली;
- च) वित्तीय सलाहकार, जहाजरानी मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग (शिपिंग विभाग), भारत सरकार, या एक नॉमिनी संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं;
- छ) पांच सदस्यों समुद्री-शिक्षा, उद्योग, विज्ञान या तकनीक और कुलपति की सिफारिश पर अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और/या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले आगंतुक द्वारा नामित किया, कम से कम दस व्यक्तियों के एक पैनल से;
- ज) संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं एक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
- झ) वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से कुलपति द्वारा नामित अध्ययन के स्कूलों के एक डीन
- ञ) दो वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से कुलपति द्वारा नामित निदेशक;
- ट) संबद्ध कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में से तीन प्रधानाध्यापक बारी-बारी से कार्यकारी परिषद द्वारा नामित;
- ठ) एक कुलपति वर्तमान या पूर्व किसी भी तकनीकी विश्वविद्यालय के; तथा
- ड) राज्य जहां विश्वविद्यालय स्थित है सरकार का एक प्रतिनिधि।
रजिस्ट्रार की कार्यकारी परिषद के पदेन सचिव होंगे।

2. सदस्यों का कार्यकाल

- क. कार्यकारी परिषद के सदस्यों के पदेन सदस्यों के अलावा अन्य तीन साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।
- ख. एक मनोनीत सदस्य के 3 साल के कार्यकाल आइ एम ऊ द्वारा अपना नामांकन के बारे में लिखित सूचना की तारीख से शुरू होगा।
- ग. एक आकस्मिक रिक्ति के लिए नियुक्त का कार्यकाल अवधि एक सदस्य जिसके लिए वह व्यक्ति आया है की शेष अवधि होगी।

3. बैठकों की संख्या

- क. एक कैलेंडर वर्ष में कार्यकारी परिषद की चार बैठकों से कम नहीं होगी।
- ख. दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल में 150 दिन से अधिक नहीं होगा।

4. बैठकों के आयोजन

- क. कुलपति के रूप में कार्यकारी परिषद के पदेन अध्यक्ष की हैसियत से, कार्यकारी परिषद की बैठक बुलाएगा।
- ख. कुलपति भी एक विशेष बैठक बुला सकता है अगर एक अनुरोध कार्यकारी परिषद के कम से कम दस सदस्यों द्वारा लिखित रूप में किया जा सकता है।
- ग. कार्यकारी परिषद की बैठकों आमतौर पर चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। उन्हे भारत में अन्य स्थानों पर आयोजित किया जा सकता है, अगर कुलपति यह उचित समझे।
- घ. बैठक एक राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन को बुलाई जा सकती है।
- ड. कुलपति एक बैठक को रद्द करने या स्थगित करने के लिए अधिकार है वैध कारण सभी सदस्यों को सूचित किया जाना होगा।

5. बैठकों की सूचना

- क. रजिस्ट्रार कम से कम चौदह दिन का समय आमतौर पर देकर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को बैठक का नोटिस जारी करेगा।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद की एक आवश्यक बैठक दिनों 'कम से कम तीन दिन के समय का एक नोटिस दे कर बुलाई जा सकती है। जिसके लिए वैध कारण सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा।

ख. हर बैठक के लिए सूचना हाथ/पोस्ट/फैक्स/ई-मेल के द्वारा हर सदस्य को दी जाएगी। कंप्यूटिंग के लिए 'नोटिस' समय, तारीख, जिस पर यह ई-मेल द्वारा भेजा जाता है कसौटी होगी।

6. कोरम

1. सात कार्यकारी परिषद के सदस्यों एक बैठक के लिए कोरम का रूप लेंगे।
2. जब कोरम मौजूद नहीं है, कोई व्यापार सम्पादित किया जाना चाहिए
3. इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
4. कोई सदस्य बैठक में भाग लेने के लिए एक उम्मीदवार को तैनात नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह स्पष्ट रूप से प्रति संविधि 11(1) के रूप में ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है।
5. कुलपति बैठक में भाग लेने के लिए 'विशेष आमंत्रित' किसी भी विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्ति कोरम के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना जाएगा और मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

7. बैठकों की अध्यक्षता

क. कुलपति पदेन की हैसियत से कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

ख. कुलपति किसी भी कारण से बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तब प्रो वाइस चांसलर, या दोनों की अनुपस्थिति में किसी अन्य सदस्य बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए अध्यक्षता करेगा।

8. उपस्थिति और अनुपस्थिति

- क. कुलपति एक सदस्य को बैठक में मौजूद नहीं रहने पर छुट्टी दे सकते हैं और अनुपस्थिति की ऐसी छुट्टी बैठक के मिनट में दर्ज किया जाएगा।
- ख. बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर युक्त रजिस्टर रजिस्ट्रार द्वारा रखा जाएगा।
- ग. हर सदस्य, जो कुलपति, रजिस्ट्रार और विशेष आमंत्रित के अलावा बैठक में आता है, यदि कोई हो, उस बैठक में उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा।
- घ. उपस्थिति रजिस्टर रजिस्ट्रार की हिरासत में रखा जाएगा और कम से कम पांच साल की अवधि के लिए रखा जाएगा।

9. एजेंडा आइटम और नोट्स

- क. कुलपति पदेन के रूप में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से, बैठक के लिए एजेंडा आइटम फैसला करेगा।
- ख. प्रत्येक मद की बैठक में अनुमोदन की आवश्यकता होती है एक एजेंडा नोट विधिवत प्रस्ताव के विवरण, इसकी गुंजाइश और निहितार्थ (प्रशासनिक, वित्तीय, कानूनी आदि जहां लागू हो), रुझान की प्रकृति, यदि कोई हो, सदस्य का होगा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां द्वारा समर्थित है। कार्यसूची नोट रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किया जाएगा और यह सदस्यों के लिए भेजे जाने से पहले कुलपति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- ग. कार्यसूची नोट के पन्नों की संख्या लगातार किया जाएगा और रजिस्ट्रार प्रमाणीकरण के माध्यम से हर पेज प्रारंभ किया जाएगा।
- घ. बैठक के लिए कार्यसूची नोट आमतौर पर कम से कम 7 दिनों कार्यकारी परिषद की बैठक की तारीख से पहले भेजा जाएगा/ बैठक के लिए कार्यसूची नोट हर सदस्य के लिए आमतौर पर केवल ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा। कार्यसूची नोट भी डाक से भेजा जा सकता है अगर एक सदस्य विशिष्ट अनुरोध करता है। हालांकि, पूरी कार्यसूची नोट की हार्ड प्रतियां प्रत्येक सदस्य के पटल पर रखा जाएगा। समय कंप्यूटिंग के लिए, तारीख, जिस पर कार्यसूची नोट ई-मेल द्वारा भेजा जाता है प्रासंगिक कसौटी होगी।

- क. बावजूद उप-पैरा 'डी' से ऊपर होते हुए भी, अगर कुलपति मानता है कि कोई भी मद जरूरी है या महत्वपूर्ण है, वह एजेंडा सात दिन की समय सीमा के बाद भी भेजे जाने के लिए या यहां तक के नोट्स बैठक के समय में मेज पर रखा जा सकता है। इसी तरह, जहां कुलपति मानता है कि एक एजेंडा आइटम संवेदनशील या गोपनीय है और यह पहले से यह प्रसारित करने के लिए विवेकपूर्ण नहीं होगा, वह कारण हो सकता है कि यह बैठक के समय में मेज पर रखा जाएगा।
- ख. कार्यकारी परिषद मानता है कि एक निश्चित मद के एजेंडा नोट अधूरा या कि मुद्दों पर विचार कर के लिए समय अपर्याप्त है, तो इसे अगली बैठक के लिए एजेंडा आइटम स्थगित कर सकते हैं।
- ग. कुलपति मानता है कि एक विशेष एजेंडा आइटम विवादास्पद है या कि एजेंडा नोट अधिक से अधिक समय लेने वाला है, और कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है वह अगली बैठक के लिए एजेंडा आइटम स्थगित कर सकता है।
- घ. प्रत्येक मद इस प्रकार के रूप में गिने किया जाएगा ई सी (कैलेंडर वर्ष) (कार्यकारी परिषद की बैठक की संख्या) - (एजेंडा आइटम के सीरियल नंबर): । उदाहरण के लिए, 36 वें कार्यकारी परिषद 28/09/2016 पर आयोजित बैठक के दसवें एजेंडा आइटम 'ईसी 2016-36-10' के रूप में गिने जाएगा।

10. निर्णय लेना

- क. आमतौर पर, बैठक के सभी निर्णयों सभी सदस्यों की आम सहमति से किया जाएगा। जहां अधिकार से, अध्यक्ष वोट करने के लिए एक प्रस्ताव रख सकता है और संकल्प साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा। एक टाई के मामले में, अध्यक्ष एक निर्णायक मत होगा।
- ख. सदस्य (ओं) के नाम (ओ) जो असहमति या अनुपस्थित रहे कारणों के साथ दर्ज किया जाएगा संकल्प से, यदि कोई हो, बैठक के मिनट में।
- ग. एक विशेष मद में उनकी रुचि के कारण सदस्य (ओं) जो खुद को चर्चा से अलग कर लिया के नाम (एस) बैठक के मिनट में दर्ज किया जाएगा।

11. बैठक का कार्यवृत्त

- क. रजिस्ट्रार कुलपति के अनुमोदन के साथ बैठक के मिनट तैयार करेगा ।
- ख. मिनटों बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम रिकॉर्ड करेगा, सदस्यों के नाम, जिन्होंने अनुपस्थिति की छुट्टी मंजूर किए गए थे, विशेष आमंत्रित के नाम, यदि कोई हो, जो बैठक में भाग लिया।
- ग. संकल्प/निर्णय से अलावा, मिनट विचार-विमर्श के लिए एक निष्पक्ष और सही सारांश हो सकती है। प्रमुख निर्णयों के मामले में, औचित्य क्या है भी संकेत किया जाएगा। जहां किसी भी पहले संकल्प/निर्णय लांग या संशोधित किया गया है, ऐसे मिनट पहले संकल्प/निर्णय के लिए एक संदर्भ होनी चाहिए। मिनट वास्तविक विचार-विमर्श के आधार पर होना चाहिये बैठक के दौरान हुआ है कि और किसी भी प्रश्न के लिखित संचार से नहीं जो के अनुपस्थित सदस्यों से प्राप्त किया गया है हो सकता है।
- घ. मिनट के पन्नों की संख्या लगातार किया जाएगा और रजिस्ट्रार भविष्य में किसी भी तरीके से मिनट की छेड़छाड़ के खिलाफ रक्षा के लिए संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा।
- ङ. बैठक के मिनट (जो लोग अनुपस्थित थे सहित) आमतौर पर बैठक की तारीख से 15 दिनों लेकिन 30 दिन बाद नहीं के भीतर कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को ई-मेल से भेजी जाएगी।
- च. बैठक के मिनट ई-मेल द्वारा और साथ ही चांसलर और आगंतुक के लिए डाक द्वारा भेजा जाएगा।
- छ. शुक्र पत्र यदि कोई हो कार्यवृत्त के लिए कार्य परिषद की अगले बैठक की तिथि से पहले कुलपति के अनुमोदन से कुल सचिव द्वारा जारी की जाए। अनुवर्ती मिनट के रूप में कुलपति द्वारा अनुमोदन के लिए इंतजार किए बिना कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में मिनट की पुष्टि पर कार्रवाई की जाए। यह कुलसचिव की ज़िम्मेदारी होगी के वह शीघ्र अनुवर्ती कार्रवाई निर्णयों पर करे और एक्शन टेकेन रिपोर्ट ई सी की अगली मीटिंग में रखे।
- ज. मिनट के शब्दों पर टिप्पणियां, यदि कोई हो, सदस्यों से प्राप्त की अगली कार्यकारी परिषद के बैठक में मिनट की पुष्टि के समय में विचार किया जाएगा मिनट पुष्टि करने से पहले । हालांकि, ऐसी टिप्पणियों केवल उन सदस्यों की हो जो वास्तव में बैठक में मौजूद थे लिया जाएगा।

- झ. रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद की बैठकों के मिनट के संरक्षक माना जाएगा। मिनट (कार्यसूची नोट के साथ) दोनों फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्थायी रूप से संरक्षित किया जाएगा।

12. संकल्प-संचलन द्वारा की पासिंग

- क. धारा 12 के तहत कुलपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना (3) आई एम यू अधिनियम, 2008 की है, अगर कुलपति राय है कि एक तत्काल निर्णय किसी भी मामले में आवश्यक है, वह रजिस्ट्रार के एजेंडा नोट भेजने के लिए निर्देश कर सकते हैं आइटम-से-सर्कुलेशन एक मसौदा संकल्प के साथ एक साथ - ईमेल द्वारा कार्यकारी परिषद के सभी सदस्यों को- उन्हें, उनकी टिप्पणियों के लिए कम से कम तीन स्पष्ट कार्य दिवसों दे रही है। कोई टिप्पणी निर्धारित समय सीमा के भीतर एक सदस्य से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो यह परिकल्पित किया जाएगा की इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है।
- ख. संकल्प-से-वितरण की तिथि एजेंडा आइटम-से-संचलन पर उनकी टिप्पणी के लिए सदस्यों को दिया अंतिम तिथि होगी।
- ग. एक सदस्य एजेंडा आइटम-से-वितरण के संबंध में रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- घ. ऐसे मामलों में जहां कम से कम दस सदस्यों ने अनुरोध किया है कि एजेंडा आइटम-से-सर्कुलेशन सबसे अच्छा कार्यकारी परिषद की नियमित बैठक में चर्चा हो सकती है, वाइस चांसलर अगले नियमित रूप से बैठक में एक एजेंडा आइटम के रूप में विषय शामिल होंगे। अन्य सभी मामलों में, संकल्प-से-सर्कुलेशन अनुमोदित किया जाना माना जाएगा।
- ड. आमतौर पर, केवल जरूरी महत्वपूर्ण नहीं एजेंडा आइटम कार्यकारी परिषद द्वारा संचलन के समक्ष पेश किया जाएगा।
- च. एक एजेंडा आइटम पर कोई संकल्प द्वारा संचलन पारित किया जाएगा के बाद नोटिस कार्यकारी परिषद की नियमित बैठक बुलाने जारी किया गया है।
- छ. एक आइटम द्वारा संचलन का एजेंडा नोट सदस्यों को जो कि विशेष रूप से इस मामले में रुचि रखते हैं और उसी में एजेंडा नोट के साथ ही संकल्प-से-सर्कुलेशन उसके बाद जारी दर्ज किया जाएगा करने के लिए भेजा नहीं किया जाएगा।
- ज. संकल्प-से-सर्कुलेशन पुष्टि करने के लिए अगले कार्यकारी परिषद की बैठक से पहले रखा जाएगा।

13. एजेंडा आइटम के अनुक्रम

- क. कार्यकारी परिषद की नियमित बैठक के पहले मद पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाएगी।
- ख. दूसरे मद पिछली बैठक कार्रवाई के मिनट पर रिपोर्ट ली जाएगी।
- ग. एजेंडा आइटम के अगले सेट विभिन्न संकल्पों द्वारा संचलन की पुष्टि हो सकती है।
- घ. एजेंडा आइटम के अगले सेट आई एम यू अधिनियम, 2008 की धारा 12 (3) के तहत कुलपति द्वारा उठाए गए विभिन्न निर्णयों की रिपोर्टिंग हो सकता है।
- ड. एजेंडा आइटम के अगले सेट शैक्षणिक परिषद और वित्त समिति के तत्काल अतीत बैठकों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग हो सकता है।
- च. उसके बाद सभी अन्य एजेंडा आइटम जानकारी/निर्णय के लिए के लिए जाएगा।

14. सदस्यों का दायित्व

- क. कार्यसूची नोट और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के लिए भेजा मिनट प्रकृति में गोपनीय हैं और बाहरी लोगों को खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
- ख. किसी भी सदस्य के कार्यकारी परिषद के विचाराधीन किसी भी मद में कोई रुचि है, तो वह स्वप्रेरणा विशेष एजेंडा आइटम के लिए विचार-विमर्श से खुद को स्वतः अलग हो जाना चाहिए।
- ग. एक सदस्य आई एम यू अधिनियम, विधियों या अध्यादेश के तहत कार्यकारी परिषद के एक सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वह स्वप्रेरणा स्वतः चाहिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रार को इस तथ्य को सूचित करें। "

एस. वी. दुर्गा प्रसाद, रजिस्ट्रार
[विज्ञापन III/4/असा./331/16 (92पी)]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY**NOTIFICATION**

Chennai, the 1st December, 2016

No. IMU/HQ/ADM/Notification/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act 2008 (22 of 2008), the following Notifications are published for general information:

Ordinance 01 of 2015

*[vide Executive Council resolution No. EC 2015-30-11 dated 25-02-2015;
amended vide EC 2015-31-44 dated 26-06-2015; and
further amended vide EC 2016-35-13 dated 22-07-2016]*

Creation of Board of Research Studies

1. The Indian Maritime University shall have a Board of Research Studies, the composition of which shall be as under:
 - (i) Vice Chancellor-Chairman (ex-officio)
 - (ii) Deans of Schools of Studies -Members (ex-officio)
 - (iii) One Professor from each School of Studies nominated by the Vice Chancellor-Members
 - (iv) One Associate Professor from each School of Studies nominated by the Vice Chancellor-Members
 - (v) Ten experts (with Ph.D) representing Teaching, Research and Industry nominated by the Academic Council out of a panel of 20 names proposed by the Vice Chancellor-Members
2. The term of office of the nominated members shall be 3 years and they shall be eligible for re-nomination.
3. The functions of the Board of Research Studies shall be:
 - (i) Propose guidelines and regulations for all matters connected with Ph.D and other research programmes.
 - (ii) Prepare a perspective plan for major thrust areas for research in the disciplines under the purview of the University.
 - (iii) Review the current status of research in each department.
 - (iv) Perform such other functions as may be assigned by the Academic Council or the Executive Council from time to time.
4. The meetings of the Board shall be held at least twice a year.
5. The quorum for a meeting of the Board shall be one third of the total members.
6. Notice for a meeting of the Board shall be issued at least ten days before the date fixed for the meeting.
7. The Board may determine its own procedures for working.”

Ordinance 34 of 2015

*[vide Executive Council resolution No. EC 2015-31-42 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-36-28 dated 28-09-2016]*

Recruitment Rules for the post of Registrar

1.	Name of the post	Registrar
2.	Number of Posts	1
3.	Classification	Group A
4.	Scale of Pay	Pay Band 4 - Rs. 37400-67000 with GP of Rs. 10000

5.	Whether Selection post or non-Selection post	Selection post
6.	Age limit for direct recruitment	Age not more than 55 years. (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases.)
7.	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Registrar	<p><u>Category 1: From Professors or Scientist G</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) At least a Professor or Scientist G in any Central or State University/ IIT/ NIT/IIM/ Research Organisation or equivalent.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 2: From University Officers</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) As Registrar or Controller of Examinations in any Central or State University/ IIT/NIT/IIM (or) as an officer with at least 15 years' administrative experience in the institutions specified above as Assistant Registrar/Deputy Registrar out of which at least 8 years shall be as Deputy Registrar.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 3: From Major Ports or PSUs</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) An officer who is working not below the rank of Head of Department in any Major Port (or) a person working as Senior Executive (one rank below Board level) in Maharatna and Navaratna category of Public Sector Undertakings (PSUs) or as Director in Miniratna category of PSUs.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 4: From Mariners</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going)/MEO Class I (Motor) Certificate of Competency;</p> <p>(b) Sailing experience of minimum of two years at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of fifteen years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p> <p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of two years indicated in (b) above];</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 5: From Group A officers of Central/State Governments</u></p> <p>Serving or retired Group A officer of Central/State Governments not below the rank of Additional Secretary in State Governments or</p>

		Director in Central Government.
8.	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Deputationists?	<i>Age limit:</i> 57 years. (Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases). <i>Educational qualifications:</i> Yes, except in the case of Category 5.
9.	Period of probation, if any	Two years for Direct Recruitment only.
10.	Method of recruitment.	Direct Recruitment [or] Deputation of a person holding an analogous post on regular basis.
11.	If a Selection Committee exists, what is its composition?	Selection Committee will consist of: (a) The Vice-Chancellor as Chairperson. (b) Two members of the Executive Council nominated by it. (c) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council. (d) One person nominated by the Visitor. (e) One person nominated by the Court.
12.	Remarks	1. Appointment to the post of Registrar will be for a tenure of 5 years initially. Eligible for only one extension up to a maximum of 5 years subject to satisfactory performance. 2. Age of superannuation: 62 years for Direct Recruits. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/agency will apply subject to a maximum of 62 years. 3. A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) at the Master's Degree level will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories. 4. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates. 5. IMU's decision as to whether a post is equivalent or not is final. 6. If a candidate's experience spans more than one Category/sub-Category, the same will be added to arrive at his eligibility.

Ordinance 36 of 2015

*[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-42 dated 26-06-2015
amended vide EC 2016-36-29 dated 28-09-2016]*

Recruitment Rules for the post of Deputy Registrar

1	Name of Post	Deputy Registrar
2	Number of posts	9
3	Classification	Group A
4	Scale of Pay	On initial appointment, pay shall be fixed in the Pay Band 3 - Rs.15600-39100 with Grade Pay of Rs.7600. After completing 5 years of satisfactory service in this Pay Band, he will move to the higher Pay Band - 4 of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs. 8700 but shall continue to be designated as Deputy Registrar.

5	Whether selection post or non-selection post	Not applicable for Direct Recruitment/ Deputation. By Selection in case of Promotion.
6	Age limit for direct recruitment	Not more than 55 years. (Relaxable up to 2 years by Vice Chancellor in deserving cases.)
7	Educational and other qualifications required for direct recruitment for Deputy Registrar	<p><u>Category 1: From Universities/Research Establishments</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) As Deputy Registrar or Deputy Controller of Examinations or equivalent in any Central or State University/ IIT/ NIT/ IIM/ Research Establishment (or) as an Assistant Registrar with at least 7 years' administrative experience in the institutions specified above.</p> <p style="text-align: center;">[OR]</p> <p><u>Category 2: From Major Ports</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) An officer who is working not below the rank of Deputy Secretary or equivalent in any Major Port.</p> <p style="text-align: center;">[OR]</p> <p><u>Category 3: From PSUs/Public Sector Banks or FIs/Public Limited Companies</u></p> <p>(a) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade of 'B' in the UGC prescribed seven point scales;</p> <p>(b) At least 7 years of relevant administrative experience</p> <p style="padding-left: 20px;">(i) in a grade not lower than E-1 (Executive) in Public Sector Undertakings; or</p> <p style="padding-left: 20px;">(ii) in a grade not lower than Scale – I (Probationary Officer) or equivalent in Public Sector Banks/Financial Institutions; or</p> <p style="padding-left: 20px;">(iii) With total monthly emoluments in any Public Limited Company not less than that of E-1 (Executive) in Public Sector Undertakings.</p> <p><u>Category 4: From Mariners</u></p> <p>(a) Master (Foreign Going)/MEO Class I (Motor) Certificate of Competency;</p> <p>(b) Sailing experience of minimum of one year at Management level within the meaning of STCW Convention in force; and</p> <p>(c) A minimum of six years of experience in Maritime industry in one or more of the following areas:</p>

		<p>(i) Sailing experience at Management level [beyond the prescribed minimum of one year indicated in (b) above];</p> <p>(ii) Teaching Nautical Science or Marine Engineering in a recognised maritime institution;</p> <p>(iii) Nautical or Engineering Surveyor in Directorate General of Shipping or in any recognized Classification Society;</p> <p>(iv) Technical Superintendent in any reputed Ship-owning or Ship-managing company.</p> <p>[OR]</p> <p><u>Category 5: From Group A officers of Central/State Governments</u> Serving or retired Group A officer of Central/State Governments not below the rank of Joint Secretary in State Governments or Deputy Secretary in Central Government.</p>
8	Whether Age & Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees/ Deputationists?	<p>Promotion: Age limit – No. Educational qualifications: Yes. From Assistant Registrar with at least 3 years of regular service in grade pay of Rs. 6,600 subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee.</p> <p>Deputation: Age limit – 57 years. Educational qualifications: Yes, except in the case of Category 5. A person holding an analogous post or with at least 3 years of regular service in the grade pay of Rs. 6,600 or equivalent.</p>
9	Period of probation, if any	Two years for direct recruitment only.
10	Method of recruitment.	<p>Direct Recruitment/Promotion/Deputation/Absorption.</p> <p>Direct Recruitment will be done through an Online Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview.</p> <p>Online Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.</p>
11	If a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee/ exists, what is its composition?	<p>Selection committee/Departmental Promotion Committee will consist of:</p> <p>(i) The Vice-Chancellor as Chairperson.</p> <p>(ii) One member of the Executive Council.</p> <p>(iii) One nominee of the Executive Council.</p> <p>(iv) One officer nominated by the Vice-Chancellor.</p>
12	Remarks	<p>1. Age of superannuation: 60 years for direct recruits and promotees. For Deputationists, relevant age of the sponsoring department/ agency will apply.</p> <p>2. A relaxation of 5% marks (from 55% to 50%) at the Master's Degree level will be allowed for candidates belonging to SC/ST/PwD categories.</p>

	<p>3. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>4. IMU's decision as to whether a post is equivalent or not and whether emoluments are equivalent or not is final.</p> <p>5. If a candidate's experience spans more than one Category/sub-Category, the same will be added to arrive at his eligibility.</p>
--	--

Ordinance 80 of 2015

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-33-27 dated 23-12-2015

amended vide EC 2016-36-18 dated 28-09-2016]

Performance-based Reward for the meritorious students of Indian Maritime University Campuses

Performance-based Reward for students of IMU Campuses

1. The 'Performance-based Reward' Scheme is applicable to students of IMU Campuses only, and is aimed at motivating the students to continue to perform meritoriously from semester to semester; to maintain discipline and good conduct; and to reduce the bank loan burden of meritorious students.
2. As it is a reward, it will be based purely on *academic performance* and will *not* be linked to economic means.
3. As it is a reward for pure merit, it will not be a bar to a student getting any scholarship/freeship/studentship/fellowship, etc. from any other source.
4. It will be *for a semester only*, based on the academic performance in the immediate previous semester examination. It follows that the reward will not be given in the first semester of any programme; it will be given from the second semester onwards.
5. It will apply only to UG and PG *Degree* programmes of duration 2 years or more. Thus 1-year Diploma programmes Diploma in Nautical Science (DNS) and Post Graduate Diploma in Marine Engineering (PGDME) will not be covered by it.
6. At the time of grant, the student should not have any arrear papers relating to the immediate previous semester examination or the earlier semester examinations.
7. Any student who has suffered any punishment for ragging or examination malpractices or has indulged in any act of gross indiscipline or misconduct, shall be permanently ineligible for this reward. A 'NOC' from the Campus Directors shall be obtained in this regard.
8. Based on the results of the immediate previous semester examination, the *top rankers* in each batch in all UG as well as PG Degree Programmes will get a 'Performance-based Reward' of Rs.1 lakh per head subject to their getting at least 75% marks overall and subject to other conditions prescribed above.
9. The total number of candidates in the order of merit (other than the 'toppers') who will get a 'Performance-based Reward' of Rs.75,000/- per head in each batch in each programme will be as per the Table below:

<i>Sl. No</i>	<i>Name of the Programme</i>	<i>Duration (Years)</i>	<i>No. of Semesters for which Performance-based Reward will be given</i>	<i>Total No. of Students who will be given Rs.75,000/- Performance-based Reward in each Batch</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UG Programmes				
1	B.Tech (Marine Engineering)	4	7	30

2	B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	4	7	4
2	B.Sc (Nautical Science)	3	5	16
3	B.Sc (Maritime Science)	3	5	2
4	B.Sc (Ship Building and Repair)	3	5	2
Total				54
PG Programmes				
1	M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering) & M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)	2	3	2
3	MBA (Port and Shipping Management) & MBA (International Transportation and Logistics)	2	3	7
Total				9
Grand Total				63

10. The total number of candidates in the order of merit (other than the candidates covered by clauses 8 and 9 above) who will get a 'Performance-based Reward' of Rs.50,000/- per head in each batch in each programme will be as per the Table below:

<i>Sl. No</i>	<i>Name of the Programme</i>	<i>Duration (Years)</i>	<i>No. of Semesters for which Performance-based Reward will be given</i>	<i>Total No. of Students who will be given Rs.50,000/- Performance-based Reward in each Batch</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UG Programmes				
1	B.Tech (Marine Engineering)	4	7	30
2	B.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering)	4	7	4
2	B.Sc (Nautical Science)	3	5	16
3	B.Sc (Maritime Science)	3	5	2
4	B.Sc (Ship Building and Repair)	3	5	2
Total				54
PG Programmes				
1	M.Tech (Naval Architecture and Ocean Engineering) & M.Tech (Dredging and Harbour Engineering)	2	3	2
3	MBA (Port and Shipping Management) & MBA (International Transportation and Logistics)	2	3	7
Total				9
Grand Total				63

11. For all the three types of 'Performance-based Rewards', the two MBA programmes which have a large number of common papers will be treated as a single 'programme'; so also the two M.Tech programmes.
12. To be eligible for the 'Performance-based Reward' of Rs.75,000/- per head or Rs. 50,000/- per head, the students should get at least 75% marks overall and subject to the other conditions prescribed above.
13. For determining the 'toppers' and the other rewardees, the University as a whole shall be treated as the unit; not the individual Campuses.
14. In the event of a 'tie' for 'topper' all the students will get the reward. In the event of a 'tie' for the award of the Performance-based Reward of Rs.75,000/- per head or Rs. 50,000/- per head, the 'tie' shall be resolved by arranging the students in the descending order of the *total external examination marks for Theory papers* of the particular semester. If there is still a 'tie' the same shall be resolved by arranging the students in the descending order of *percentage of attendance* for that semester.

The student is not entitled to set off his eligible 'Performance-based Reward amount' against his semester fees and other dues payable to IMU. However IMU reserves the right to recover any of its dues from the student out of his 'Performance-based reward'.

Ordinance 01 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-15 dated 23-05-2016]

Ordinance on IMU's Anti-Plagiarism Policy

Definition

'Plagiarism' is defined as the passing off of another person's work as one's own work without acknowledgement of the source, and involves copying of phrases, sentences, paragraphs or longer extracts from published or unpublished work including from the Internet.

Modes of Plagiarism

According to www.plagiarism.org, all of the following are considered plagiarism:

1. turning in someone else's work as your own.
2. copying words or ideas from someone else without giving credit.
3. failing to put a quotation in quotation marks.
4. giving incorrect information about the source of a quotation.
5. changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit.
6. copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work, whether you give credit or not (i.e. not "fair use").

'No-Plagiarism Declaration' by Students

Every student who is required to submit a thesis/dissertation/ project report/ research paper/assignment as part of the requirement for award of a Post-Graduate or Doctoral degree will be required to submit a signed statement at the beginning of the P.G/Ph.D programme that he is aware of the University's Anti-Plagiarism policy and will abide by it.

He shall submit a "No-Plagiarism Declaration" with every thesis/dissertation/ project report/ research paper/assignment submitted by him.

Responsibility for detecting Plagiarism committed by Students

It shall be the primary responsibility of the Supervisor/Guide/Teacher to detect the plagiarism, if any, committed by the student under his charge. The Supervisor/Guide/Teacher shall run the thesis/dissertation/research paper/ assignment through the prescribed anti-plagiarism detection tool to ensure that it reflects genuine research and original work, and he shall furnish a certificate to this effect. A Supervisor/Guide/Teacher who fails to put in due diligence to detect plagiarism shall be liable for disciplinary action.

Plagiarism by Employees

Teachers and other employees who submit articles/research papers/consultancy reports/project reports or who present papers or deliver orations in seminars and conferences will be required to uphold the highest ethical standards and not resort to plagiarism. If any plagiarism comes to light, they shall be liable for disciplinary action.

Procedure for handling allegations of Plagiarism

Whenever an allegation of plagiarism is brought to the University's notice either by the Supervisor/Guide/Teacher or by any other source against a student or an ex-student or an employee, the Vice Chancellor may refer the same to the Board of Research Studies for an inquiry. The Board of Research Studies may conduct an inquiry on its own or constitute a Standing Sub-committee to inquire into allegations of plagiarism. The Board/Sub-committee shall observe the principle of natural justice and afford the student/ex-student/employee against whom the allegation of plagiarism has been received a reasonable opportunity to show cause against the allegation. The inquiry should be completed expeditiously especially where a student is on the verge of completing his programme. The Board/Sub-committee should submit its report to the Vice Chancellor with (i) a clear-cut finding as to whether plagiarism has been committed or not, and (ii) if committed, an opinion on the gravity of the offence (expressed as a percentage of total number of sentences). The Vice Chancellor is at liberty to accept the findings of the Board/Sub-committee in full or to deviate from the same for reasons to be recorded in writing.

Depending on the gravity of the offence, the Vice Chancellor in respect of students, and the competent authority in respect of employees, may award punishment as per the norms prescribed below:

Category	Punishment for proven charge of plagiarism based on the gravity of the offence
Student	Rustication from the University for a period ranging from 1 year to 5 years.
Ex-Student i.e. one whose plagiarism is detected after he has been awarded degree.	IMU may withdraw the degree awarded by it.
Employee (Faculty/Staff) (1) If plagiarism is proved with regard to a thesis/ dissertation/project report relating to a degree awarded by IMU or any other University based on which qualification employment was obtained in IMU. (2) If plagiarism is proved in respect of articles/research reports/ consultancy reports/ project reports/ papers submitted or orations in a seminar or conference etc.	Disciplinary action for minor or major penalty with a minimum penalty of stoppage of increment for one year and maximum penalty of termination from service. Disciplinary action for minor or major penalty with a minimum penalty of not less than stoppage of increment for one year.

Ordinance 02 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-20 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology

(1)	Name of post	Assistant Professor (Mechanical Engineering)
(2)	No. of posts	8 (out of the 24 Assistant Professor posts in the School of Marine Engineering and Technology)
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600-39100 with AGP Rs. 6000.

		<p>Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after completion of 6 years of service as Assistant Professor, subject to satisfactory performance.</p> <p>Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completion of 5 years of service at AGP of Rs.7,000, subject to satisfactory performance.</p>
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 40 years. (Relaxable by Vice-Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	<p>Essential:</p> <p>1. Good academic record with First Class (or an equivalent grade wherever grading system is followed) either in U.G or P.G level in Mechanical Engineering or a relevant subject from a recognized Indian University or from an accredited foreign University.</p> <p>2. A pass in the Eligibility Test conducted by the Indian Maritime University.</p> <p>Ph.D holders in a relevant discipline are exempted from passing the Eligibility test conducted by the IMU.</p> <p>Desirable:</p> <p>Teaching, Research, Industrial and/or professional experience in a reputed organization.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	<p>The Selection Committee will consist of :</p> <p>(i) Vice-Chancellor-Chairman</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of</p>

		<p>names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>3. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.</p>

Ordinance 03 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-20 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Mechanical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology

(1)	Name of post	Associate Professor (Mechanical Engineering)
(2)	No. of posts	4 (out of the 20 Associate Professor posts in the School of Marine Engineering and Technology)
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4 Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Not exceeding 50 years. (Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p>Essential:</p> <p>1. Good academic record with First Class (or an equivalent grade wherever grading system is followed) either in U.G or P.G level in Mechanical Engineering or a relevant subject from a recognized Indian University or from an accredited foreign University.</p> <p>2. Ph.D in a relevant discipline is a mandatory qualification for any candidate to be appointed as Associate Professor.</p> <p>3. Minimum of 6 years' post-Ph.D teaching/research/industrial experience of which at</p>

		<p>least 3 years should be at the level of Assistant Professor/Senior Scientific Officer/ Senior Design Engineer or equivalent.</p> <p>Desirable:</p> <p>(i) Guidance of Ph.D students.</p> <p>(ii) Reasonable number of peer reviewed publications in journals of repute.</p> <p>(ii) Papers presented at conferences.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	<p>Age: No</p> <p>Educational and other qualifications: Yes</p>
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	<p>Direct Recruitment/Promotion/Deputation/Absorption.</p> <p>A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.</p>
(11)	In case of Promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor, with Ph.D, who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs.8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee be eligible to move to the pay band of Rs.37,400 – 67,000 with AGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.
(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	<p>The Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) Vice Chancellor-Chairman</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The time taken for obtaining full-time Ph.D. degree will not be counted for the qualifying service.</p> <p>2. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p>

		<p>3. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>4. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.</p>
--	--	--

Ordinance 04 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-21 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology

(1)	Name of post	Assistant Professor (Electrical Engineering)
(2)	No. of posts	2 (out of the 24 Assistant Professor posts in the School of Marine Engineering and Technology)
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3 Rs.15600-39100 with AGP Rs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after completion of 6 years of service as Assistant Professor, subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000, after completion of 5 years of service at AGP of Rs.7,000, subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 40 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Good academic record with First Class (or an equivalent grade wherever grading system is followed) either in U.G or P.G level in Electrical Engineering or a relevant subject from a recognized Indian University or from an accredited foreign University. 2. A pass in the Eligibility Test conducted by the Indian Maritime University. <p>Ph.D holders in a relevant discipline are exempted from passing the Eligibility test conducted by the IMU.</p> <p>Desirable:</p> <p>Teaching, Research, Industrial and/or professional experience in a reputed organization.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable

(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	<p>The Selection Committee will consist of :</p> <p>(i) Vice Chancellor-Chairman</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>3. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.</p>

Ordinance 05 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-21 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Associate Professor (Electrical Engineering) in the School of Marine Engineering and Technology

(1)	Name of post	Associate Professor (Electrical Engineering)
(2)	No. of posts	2 (out of the 20 Associate Professor posts in the School of Marine Engineering and Technology)

(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-4, Rs.37400 – 67000 with AGP Rs.9000.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable for Direct Recruitment. By Selection in case of Promotion
(6)	Age limit for Direct Recruitment	Not exceeding 50 years. (Relaxable by the Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases)
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Good academic record with First Class (or an equivalent grade wherever grading system is followed) either in U.G. or P.G. level in Electrical Engineering or a relevant subject from a recognized Indian University or from an accredited foreign University. 2. Ph.D in a relevant discipline is a mandatory qualification for any candidate to be appointed as Associate Professor. 3. Minimum of 6 years' post-Ph.D teaching/research/industrial experience of which at least 3 years should be at the level of Assistant Professor/Senior Scientific Officer/ Senior Design Engineer or equivalent. <p>Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Guidance of Ph.D students. (ii) Reasonable number of peer reviewed publications in journals of repute. (iii) Papers presented at conferences.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees and Deputationists?	Age: No Educational and other qualifications: Yes
(9)	Period of Probation, if any	Two years for Direct Recruitment.
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment/Promotion/Deputation/ Absorption. A candidate who has put in 3 years of satisfactory service as Associate Professor on Deputation is eligible for Absorption.
(11)	In case of promotion, grade from which promotion to be made	An Assistant Professor who has completed 3 years of teaching in the AGP of Rs.8,000 shall, subject to satisfactory performance and assessment by the Departmental Promotion Committee be eligible to move to the pay band of Rs.37,400 – 67,000 with AGP Rs.9,000 and to be designated as Associate Professor.

(12)	Composition of the Selection Committee/ Departmental Promotion Committee.	<p>The Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) Vice Chancellor-Chairman (ii) Pro-Vice Chancellor (iii) A Nominee of the Visitor (iv) The Head of the Department concerned. (v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor. (vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Associate Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The time taken for obtaining full-time Ph.D. degree will not be counted for the qualifying service.</p> <p>2. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/ OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>3. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>

Ordinance 06 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-22 dated 23-05-2016]

Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Electronics and Communication Engineering) in the school of Nautical Studies and Marine Engineering & Technology

(1)	Name of post	Assistant Professor (Electronics and Communication Engineering)
(2)	Number of posts	3 (out of 18 Assistant Professor posts in the School of Nautical Studies)
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3, Rs.15600–39100 with AGPRs.6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after the completion of 6 years as Assistant Professor subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 after completing 5 years of service at AGP of Rs.7,000 subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable.
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 40 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).

(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	<p>Essential:</p> <p>1. Good academic record with First Class (or an equivalent grade wherever grading system is followed) either in U.G or P.G level in Electronics & Communication Engineering from a recognized Indian University or from an accredited foreign University.</p> <p>2. A pass in the Eligibility Test conducted by the Indian Maritime University.</p> <p>Ph.D holders are exempted from passing the Eligibility test conducted by the IMU.</p> <p>Desirable:</p> <p>Teaching, Research, Industrial and/or professional experience in a reputed organization.</p>
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/Deputation/Transfer, grades from which Promotion/Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.
(12)	What is the composition of the Selection Committee?	<p>The Selection Committee will consist of :</p> <p>(i) Vice Chancellor</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/ Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p> <p>3. IMU's decision as to whether the Ph.D is in the relevant discipline shall be final.</p>

Ordinance 07 of 2016*[vide Executive Council resolution No.EC 2016-34-23 dated 23-05-2016]***Recruitment Rules for the posts of Assistant Professor (Mathematics) in the School of Nautical Studies**

(1)	Name of post	Assistant Professor (Mathematics)
(2)	No. of posts	5 (out of 18 Assistant Professor posts in the School of Nautical Studies)
(3)	Classification	Faculty
(4)	Scale of Pay	Pay Band-3, Rs.15600–39100 with AGP Rs. 6000. Shall be eligible for the AGP of Rs.7,000 after completion of 6 years of service as Assistant Professor, subject to satisfactory performance. Shall be eligible for the AGP of Rs.8,000 completion 5 years of service at AGP of Rs.7,000, subject to satisfactory performance.
(5)	Whether Selection post or Non-selection post	Not Applicable
(6)	Age limit for direct recruitment	Not exceeding 40 years (Relaxable by Vice Chancellor up to 2 years in deserving cases).
(7)	Educational and other qualifications required for Direct Recruitment.	Essential: (a) Good academic record with at least 55% marks (or an equivalent grade wherever grading system is followed) at the Master's Degree level in Mathematics from a recognized Indian University or from an accredited foreign University. (b) A pass in the National Eligibility Test (NET) conducted by the C.S.I.R. or similar test like SLET/ SET. (c) However, the candidates who have been awarded a Ph.D degree shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/ SET. Desirable: Teaching, Research, Industrial and/or professional experience in a reputed organization.
(8)	Whether Age & Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotees?	Not Applicable
(9)	Period of Probation, if any	Two years
(10)	Method of Recruitment	Direct Recruitment only.
(11)	In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Transfer, grades from which Promotion/ Deputation/Transfer to be made.	Not Applicable.

(12)	What is the composition of the Selection Committee?	<p>The Selection Committee will consist of:</p> <p>(i) Vice Chancellor-Chairman</p> <p>(ii) Pro-Vice Chancellor</p> <p>(iii) A Nominee of the Visitor</p> <p>(iv) The Head of the Department concerned.</p> <p>(v) One Professor to be nominated by the Vice Chancellor.</p> <p>(vi) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Assistant Professor is concerned.</p> <p>The proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless at least any two members of the following three - Visitor's nominee plus the two nominees of the Executive Council - attend the meeting.</p>
(13)	Age of superannuation	65 years.
(14)	Remarks	<p>1. The upper age limit will be relaxed for the candidates belonging to SC/ST/OBC/Physically Handicapped candidates, in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time.</p> <p>2. The crucial date for determining the eligibility conditions shall be the closing date for receipt of applications from candidates.</p>

Ordinance 08 of 2016

[vide Executive Council resolution No.EC 2016-36-36 dated 28-09-2016]

Regulations for the conduct of the meetings of the Executive Council

1. Membership

The Executive Council shall consist of the following members, namely:—

- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson, ex officio;
- (b) the Pro-Vice-Chancellor, ex officio;
- (c) the Secretary of Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), Government of India, or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
- (d) the Director-General of Shipping or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
- (e) The Chairman, Indian Port Association, New Delhi;
- (f) the Financial Adviser, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Shipping), Government of India, or his nominee not below the rank of a Joint Secretary;
- (g) five members to be nominated by the Visitor having special knowledge and/ or practical experience in respect of maritime-education, industry, science or technology and other related subjects on the recommendation of the Vice-Chancellor, out of a panel of at least ten persons;
- (h) one member not below the rank of Joint Secretary to be appointed by the Central Government to represent the Ministry of Defence of the Central Government;

- (i) one Dean of Schools of Studies nominated by the Vice-Chancellor by rotation on the basis of seniority;
- (j) two Directors nominated by the Vice-Chancellor by rotation on the basis of seniority;
- (k) three Principals of the affiliated colleges and academic institutions nominated by the Executive Council by rotation;
- (l) one Vice-Chancellor present or former, of any technical University; and
- (m) one representative of the Government of the State where University is located.

The Registrar shall be *ex officio* Secretary of the Executive Council.

2. Tenure of Members

- a. The members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years.
- b. The 3-year tenure of a nominated Member shall commence from the date of written intimation regarding his nomination by IMU.
- c. The term of a member appointed to a casual vacancy shall be the residue of the term for which the person of whose place he fills would have been a member.

3. Number of meetings

- a. There shall be not less than four meetings of the Executive Council in a calendar year.
- b. The maximum interval between two meetings shall not be more than 150 days.

4. Convening of meetings

- a. The Vice Chancellor, in his capacity as *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, shall convene the meetings of the Executive Council.
- b. The Vice Chancellor may also convene a special meeting if a request is made in writing by at least ten members of the Executive Council.
- c. The meetings of the Executive Council shall ordinarily be held at Chennai. They may also be held at such other places in India if the Vice Chancellor deems it fit.
- d. A meeting may be convened on any day excluding a National Holiday.
- e. The Vice Chancellor shall have the right to cancel or postpone a meeting for valid reasons to be communicated to all the members.

5. Notice of the meetings

- a. The Registrar shall issue a notice of the meeting to all the members of the Executive Council by giving at least fourteen days' time ordinarily.

Provided that an urgent meeting of the Executive Council may be convened by giving a shorter notice of not less than three days' time for valid reasons to be communicated to all the members.

- b. Notice for every meeting shall be given to every member by hand/post/fax/e-mail. For computing 'notice time', the date on which it is sent by *e-mail* shall be the criterion.

6. Quorum

- 1. Seven members of the Executive Council shall form the quorum for a meeting.
- 2. No business should be transacted when the quorum is not present.
- 3. Participation in the meeting through electronic mode shall not be permitted.
- 4. No member can depute a nominee to attend the meeting unless he is expressly authorised to do so as per Statute 11(1).
- 5. The Vice Chancellor may invite any expert as 'Special Invitee' to attend the meeting but such person shall not be counted for the purposes of quorum and shall not be eligible to vote.

7. Presiding over meetings

- a. The Vice Chancellor, in his capacity as *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, shall preside over the meetings.
- b. If the Vice Chancellor is unable to attend the meeting for any reason, then the Pro-Vice Chancellor, or in the absence of both, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside.

8. Attendance and Leave of absence

- a. The Vice Chancellor may grant leave of absence to a member not present in the meeting and such leave of absence shall be recorded in the minutes of the meeting.
- b. An Attendance Register containing the names and signatures of the members present at the meeting shall be maintained by the Registrar.
- c. Every member who attends the meeting apart from the Vice Chancellor, the Registrar and the Special Invitees, if any, shall sign the attendance register at that meeting.
- d. The Attendance Register shall be kept in the custody of the Registrar and shall be maintained for a period of at least five years.

9. Agenda Items and Notes

- a. The Vice Chancellor, in his capacity as *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, shall decide the Agenda Items for the meeting.
- b. Each Agenda Item requiring approval at the meeting shall have an Agenda Note setting out the details of the proposal, its scope and implications (administrative, financial, legal etc. wherever applicable), the nature of interest, if any, of a member, duly supported by copies of the relevant documents. The Agenda Notes shall be prepared by the Registrar and got approved by the Vice Chancellor before it is sent to the members.
- c. The pages of the Agenda Notes shall be consecutively numbered and the Registrar shall initial every page by way of authentication.
- d. The Agenda Notes for the meeting shall be ordinarily sent at least 7 days prior to the date of the Executive Council meeting.
- e. The Agenda Notes for the meeting shall be given to every member shall be sent to every member ordinarily by e-mail only. The Agenda Notes may also be sent by post if a member makes a specific request. However, hard copies of the complete Agenda Notes will be placed on the table of each member. For computing the time, the date on which the Agenda Notes are sent by *e-mail* shall be the relevant criterion.
- f. Notwithstanding sub-para 'd' above, if the Vice Chancellor considers that any Agenda Item is urgent or important, he may direct the Agenda Notes to be sent even after the seven-day deadline or even place it on the table at the time of the meeting. Similarly, where the Vice Chancellor considers that an Agenda Item is sensitive or confidential and it would not be prudent to circulate it in advance, he may cause it to be placed on the table at the time of the meeting.
- g. If the Executive Council considers that the Agenda Note of a certain item is incomplete or that the time for mulling over the issues is inadequate, it can defer the Agenda Item to the next meeting.
- h. If the Vice Chancellor considers that a particular Agenda Item is contentious and is consuming a disproportionate amount of time at the meeting with no decision being reached or that the Agenda Note is defective, he may defer the Agenda Item to the next meeting.
- i. Each Agenda Item shall be numbered as follows: EC (Calendar year) - (Number of the Executive Council meeting) - (Serial number of the Agenda Item). For example, the tenth Agenda Item of the 36th Executive Council Meeting held on 28.09.2016 shall be numbered as 'EC 2016-36-10'.

10. Decision Making

- a. Ordinarily, all decisions of the meeting shall be by the consensus of all members. Where warranted, the Chairman may put a motion to vote and the resolution shall be based on simple majority. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
- b. The name(s) of the member(s) who dissented or abstained from the resolution shall be recorded with the reasons, if any, in the minutes of the meeting.
- c. The name(s) of the member(s) who recused themselves from the discussion due to their interest in a particular Agenda Item shall be recorded in the minutes of the meeting.

11. Minutes of the meeting

- a. The Registrar shall prepare the minutes of the meeting with the approval of the Vice Chancellor.
- b. The minutes shall record the names of the members present in the meeting, the names of the members who were granted leave of absence, the names of the Special Invitees, if any, who attended the meeting.
- c. Apart from the resolution/decision, the minutes may contain a fair and correct summary of the deliberations. In case of major decisions, the rationale thereof shall also be indicated. Where any earlier resolution/decision is superseded or modified, the minutes shall contain a reference to such earlier resolution/decision. The minutes shall be based only on the actual deliberations that took place in the course of the meeting, and not on the basis of any written communications that may have been received from absentee members.
- d. The pages of the minutes shall be consecutively numbered and the Registrar shall initial every page to guard against tampering of the minutes in any manner in the future.
- e. The minutes of the meeting shall be sent by e-mail to all the members of the Executive Council (including those who were absent) ordinarily within 15 days from the date of the meeting but not later than 30 days.
- f. The minutes of the meeting shall be sent by e-mail as well as by post to the Chancellor and the Visitor.
- g. The errata, if any, to the minutes may be issued by the Registrar with the approval of the Vice Chancellor before the date of the next meeting of the Executive Council.
- h. Follow-up action on the minutes as approved by the Vice Chancellor shall be taken without waiting for the confirmation of the minutes at the next meeting of the Executive Council. It shall be the responsibility of the Registrar to take prompt follow-up action on the decisions taken, and to place an Action Taken Report at the next meeting of the Executive Council.
- i. Comments on the wording of the minutes, if any, received from the members shall be considered at the time of confirmation of the minutes at the next meeting of the Executive Council before the minutes are confirmed. However, such comments shall be entertained only from those members who were actually present at the meeting.
- j. The Registrar shall be the custodian of the minutes of the meetings of the Executive Council. The minutes (along with the Agenda Notes) shall be preserved permanently both in physical and electronic form.

12. Passing of Resolution-by-Circulation

- a. Without prejudice to the Vice Chancellor's powers under Section 12 (3) of the IMU Act, 2008, if the Vice Chancellor is of the opinion that an immediate decision is necessary in any matter, he may direct the Registrar to send the Agenda Note of the item-by-Circulation together with a draft resolution - by email - to all the members of the Executive Council giving them not less than three clear working days for their comments, if any. If no comments are received from a member within the time limit specified, it shall be presumed that he has no objection to the proposal.

- b. The date of the Resolution-by-Circulation shall be the last date given to the members for their comments on the Agenda Item-by-Circulation.
- c. A member may seek clarification or additional information from the Registrar with regard to the Agenda Item-by-Circulation.
- d. In cases where not less than ten members make a request that the Agenda Item-by-Circulation is best discussed in a regular meeting of the Executive Council, the Vice Chancellor shall include the subject as an Agenda Item in the next regular meeting. In all other cases, the Resolution-by-Circulation is deemed to be approved.
- e. Ordinarily, only urgent but not important Agenda Items shall be placed before the Executive Council-by-Circulation.
- f. No resolution on an Agenda Item shall be passed by-Circulation after the notice convening a regular meeting of the Executive Council has been issued.
- g. Agenda Note of an item-by-Circulation shall not be sent to the members who have an interest in that particular matter and the same shall be recorded in the Agenda Note as well as the Resolution-by-Circulation issued thereafter.
- h. The Resolution-by-Circulation shall be placed before the next Executive Council meeting for confirmation.

13. Sequence of Agenda Items

- a. The first Agenda Item of a regular meeting of the Executive Council shall be the confirmation of the minutes of the previous meeting.
- b. The second Agenda Item shall be the Action Taken Report on the minutes of the previous meeting.
- c. The next set of Agenda Items may be the confirmation of the various Resolutions-by-Circulation.
- d. The next set of Agenda Items may be reporting of the various decisions taken by the Vice Chancellor under Section 12(3) of the IMU Act, 2008.
- e. The next set of Agenda Items may be the reporting of the minutes of the immediate past meetings of the Academic Council and the Finance Committee.
- f. This will be followed by all other Agenda Items for information/decision.

14. Obligations of Members

- a. The Agenda Notes and minutes sent to the members of the Executive Council are confidential in nature and should not be divulged to outsiders.
- b. If any member has any interest in any Agenda Item under the consideration of the Executive Council, then he should *suo motu* recuse himself from the deliberations for the particular Agenda Item.
- c. If a member becomes disqualified to be a member of the Executive Council under the IMU Act, Statutes or Ordinances, then he should *suo motu* inform this fact to the Registrar at the earliest.”

S. V. DURGA PRASAD, Registrar
[ADV.T.- III/4/Exty./331/16 (92P)]